


**फार्म : अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013**

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष :- वर्ष 1988, संपत्ति - निरंक

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम: दीपक कुमार अग्रवाल 2. वर्तमान धारित पद: कार्यपालन यंत्री 3. कार्यालय का नाम: मुख्य अभियंता (अ.उ.दा.-संघा. व निरी.), जबलपुर 4. वर्तमान वेतन: रु. 53,600/- व ग्रेड पे रु. 7600/- 5. भविष्य निधि क्रमांक: 25240904 6. कर्मचारी संख्या: 89410797

क्रं.	उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भोपाल जिला-भोपाल अयोध्या बायपास रोड के समीप	आवास गृह (1056 वर्गफीट भूमि पर निर्मित)	निरंक	रु. 18.00 लाख	स्वयं के नाम पर	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेकर खरीदा गया (वर्ष 2009 में)	निरंक	-
2	जबलपुर जिला-जबलपुर लम्हेटा घाट के समीप	आवासीय प्लेट	निरंक	रु. 12.00 लाख	श्रीमति शशि अग्रवाल के नाम पर (पत्नि)	भारतीय स्टेट बैंक से ऋण लेकर खरीदा गया (वर्ष 2013 में)	निरंक	-

हस्ताक्षर :



नाम : दीपक कुमार अग्रवाल

पद : कार्यपालन अभियंता

\* जहां लागू न हो काट दीजिए

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।